UPRB010004522025

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।**

**पीठासीन अधिकारी– (अमित पाल सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP05691**

**सत्र परीक्षण संख्या–86/2025**

**उत्तर प्रदेश राज्य**

प्रति

1– राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला पुत्र नन्द किशोर उर्फ लोकई

2– नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला पुत्र नन्द किशोर उर्फ लोकई

निवासीगण ग्राम खरगापुर, थाना खीरों, जिला रायबरेली।

**............ अभियुक्तगण**

**मुकदमा अपराध संख्या–413/2023**

**धारा–323, 324, 307, 504, 506 I.P.C.**

**7 क्रि0 लॉ अमेंडमेंट एक्ट**

**थाना–खीरों, जिला रायबरेली।**

## निर्णय

1– अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला के विरूद्ध, मुकदमा अपराध संख्या–413/2023 धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना खीरों, जिला रायबरेली में, पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र (फौजदारी वाद संख्या 19806/2024) को विद्वान चतुर्थ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनाँक 16.01.2025 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद संख्या 86/2025 के रूप में, अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला के विरूद्ध संस्थित किया गया।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/प्रार्थी कांस्टेबिल सोनू यादव P.N.O 212630301 पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम ततारपुरम रोड थाना फरीदपुर जनपद बरेली ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि "वह वर्तमान मे थाना खीरों जनपद रायबरेली के पुलिस चौकी सेमरी में कांस्टेबिल पद पर कार्यरत है। दिनांक 23.09.2023 को समय करीब 18.00 बजे विवाद की सूचना पर चौकी प्रभारी सेमरी जितेन्द्र कुमार के आदेशानुसार प्रार्थी एवं होमगार्ड विमलेश महरानीगंज विवाद स्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े

पुत्र नन्द किशोर उर्फ लोकई एवं नटवर लाल उर्फ छांनू पुत्र नन्द किशोर उर्फ लोकई निवासीगण ग्राम खरगापुर थाना खीरों जनपद रायबरेली मौजूद थे, गाली गलौज कर रहे थे। तभी प्रार्थी गाली देने से रोका तो उपरोक्त दोनों प्रार्थी से गुथ्थम गुथ्था व मारने पीटने लगे उपरोक्त दोनों जान से मारने की नियत से प्रार्थी पर लगातार बार–बार चाकू से वार करने लगे प्रार्थी बचाव करता रहा प्रार्थी के शरीर मे चार–पांच जगह गम्भीर चोटें आयी और घायल होकर गिर गया तभी नटवर लाल उपरोक्त तमन्चा निकाल कर प्रार्थी पर फायर किया, परन्तु कारतूस मिस होने के कारण जान बच गयी। उक्त घटना आस पास दुकान शटर बन्द होने लगी और अफरा तफरी एवं भय का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग डर के मारे दुकानों एवं घरों मे छुपने लगे तभी उपरोक्त दोनों चाकू व तमन्चा नाजायज लहराते हुए गाली गलौज करते हुए एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटर साइकिल से भाग गये। महोदय प्रार्थी अपनी जान बचा कर थाने आया है, कृपया रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– उक्त तहरीर के आधार पर दिनाँक 23.09.2023 को समय 18.50 बजे थाना खीरों, जिला रायबरेली पर अभियुक्तगण **राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना अमल में लायी गयी। बाद विवेचना अपराध संख्या 413/2023 में अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट प्रेषित किया गया।

4– प्रकरण सत्र सुपुर्द होने के पश्चात दिनाँक 09.09.2025 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला के विरूद्ध धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित कराये गये हैंः–

i– पी०डब्लू० 1 कां0 सोनू यादव (वादी मुकदमा)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ii– | पी०डब्लू० 2 | रामपाल | (स्वतंत्र साक्षी) |
| iii– | पी०डब्लू० 3 | होमगार्ड विमलेश कुमार | (चक्षुदर्शी साक्षी) |
| iv– | पी०डब्लू० 4 | कां0 राम किशोर | (चिक व जी.डी. लेखक) |
| v– | पी0 डब्लू0 5 | उप नि0 जीतेन्द्र कुमार यादव | (विवेचक) |
| vi- | पी0 डब्लू0 6 | डा0 सुनील कुमार यादव | (चिकित्सक) |

6– अभियोजन साक्षीगण द्वारा साक्ष्य के माध्यम से निम्न प्रपत्र साबित किये गये हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| i– | तहरीर | प्रदर्श क–1, (पी0 डब्लू0 1) |
| ii– | चिक एफ 0 आइ 0 आर 0 | प्रदर्श क–2, (पी0 डब्लू0 4) |
| iii– | जी0 डी0 कायमी | प्रदर्श क–3, (पी0 डब्लू0 4) |
| iv– | नक्शा नजरी | प्रदर्श क–4, (पी0 डब्लू0 5) |
| v– | चिकित्सीय आख्या | प्रदर्श क–5 (पी0 डब्लू0 6) |
| vi– | मेडिकोलीगल रिपोर्ट | प्रदर्श क–6 (पी0 डब्लू0 6) |
| vii– | आरोप पत्र | प्रदर्श क–7 (मौलिकता स्वीकार) |
| viii– | आरोप पत्र | प्रदर्श क–8 (मौलिकता स्वीकार) |

7– अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक व साक्षीगण के बयान को गलत बताया तथा प्रपत्रों को गलत साबित किये जाने का कथन किया। पी0 डब्लू0 6 डा0 सुनील कुमार यादव के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि 'अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला मानसिक विक्षिप्तता से ग्रसित था। मुझे कां0 सोनू यादव मारने लगा धक्का दिये जाने पर वह मोटर साईकिल की दुकान में रखे औजारों के ऊपर गिर गया, जिससे उसे चोटें आयी थी'। यह भी कथन किया कि मामला वाद विवाद का था। कां0 सोनू यादव ने सिविल ड्रेस में अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला को मारने लगा। मैं राजेन्द्र शुक्ला मानसिक विक्षिप्तता में था। बचाव में धक्का देने पर कां0 सोनू यादव मोटर साईकिल की दुकान पर रखे औजारों पर गिर गया, जिससे उसे चोटें आयी थी। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्तगण की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

8– अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 के रूप में वादी मुकदमा कां0 सोनू यादव परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा दिनांकित 17.11.2025 में यह कथन

किया गया है कि ''मैं थाना खीरों, जनपद रायबरेली की चौकी सेमरी में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। दिनांक 23.09.2023 को करीब साढ़े पांच–छः बजे के बीच चौकी प्रभारी ने फोन करके मुझे बताया कि ग्राम प्रधान महरानीगंज ने फोन किया कि उनके लड़के व उनको राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व उसका भाई नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला पुत्रगण नन्दकिशोर उर्फ लोकई, निवासी ग्राम खरगापुर, थाना खीरों, जनपद रायबरेली के रहने वाले है जो गाली–गलौज व मार–पीट कर रहे है। चौकी प्रभारी के आदेशानुसार मैं आरक्षी, होमगार्ड विमलेश कुमार को लेकर समय करीब 06:00 बजे शाम को महरानीगंज पहुंचा तो वहां पर उपरोक्त अभियुक्तगण गाली–गलौज कर रहे थे। मुझ आरक्षी द्वारा मना करने पर मेरे साथ भी मार–पीट व गाली–गलौज करने लगे। मुझे जमीन पर गिराकर लात व घूसों से मार रहे थे। राजेन्द्र शुक्ला चाकू निकालकर मुझ पर जानलेवा हमला करते हुए मेरे शरीर पर कई जगह चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा नटवर लाल मुझ आरक्षी पर तमंचे से फायर किया, किन्तु फायर मिस हो जाने के कारण मुझ आरक्षी की जान बच गयी। फायर की आवाज सुनकर आस–पास के लोग अपनी दुकान की सटर बन्द करके अन्दर हो गये। दोनों अभियुक्तगण चाकू व तमंचा लहराते हुए तथा मुझ आरक्षी को जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल से भाग गये। किसी तरह मेरी जान बची। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 3 क/4 को देखकर गवाह ने बताया कि यह वही प्रार्थना पत्र है, जो मैंने किसी व्यक्ति से लिखाया था, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगने के कारण मैं प्रार्थना पत्र लिख पाने में असमर्थ था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी डाक्टरी सी०एच०सी० खीरों में हुई थी।''

9– अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 के रूप में रामपाल परीक्षित हुये हैं। साक्षी द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा दिनांकित 27.02.2026 में यह कथन किया गया है कि ''मेरी महरानीगंज से सेमरी रोड़ पर पान पुड़िया की दुकान स्थित है, जो कि मुम्बादेवी स्वीट्स के पास है। रोज की तरह दिनांक 23.09.2023 को मैं भी दुकान पर मौजूद था, तभी अभिषेक सिंह पुत्र कौशलेश सिंह, निवासी महरानीगंज, जल बिहार मेला हेतु गांव के कुछ लोगों के साथ चन्दा वसूलने आये। इसी दौरान राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला, नटवर लाल शुक्ला उर्फ छोटे शुक्ला पुत्रगण नन्दकिशोर शुक्ला उर्फ लोकई निवासी ग्राम खरगापुर, थाना खीरों, रायबरेली अभिषेक सिंह को गाली देने लगे और विरोध करने पर दोनों लोगों ने अभिषेक के साथ मार–पीट शुरू कर दी। इसी बीच राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला ने अभिषेक सिंह के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया,

लेकिन अभिषेक सिंह बच गये, तभी नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला ने चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस चौकी सेमरी के सिपाही सोनू और गार्ड आये। तो राजेन्द्र व नटवर लाल दोनों जोर–जोर से गाली दे रहे थे। सिपाही द्वारा मना करने पर राजेन्द्र, नटवर लाल ने कांस्टेबिल सोनू से मार–पीट करने लगे। दोनों लोगों ने जान से मारने की नियत से कांस्टेबिल सोनू पर लगातार बार–बार चाकू से वार करने लगे, जिससे हम लोग डर गये थे। जब गार्ड ने बीच–बचाव की कोशिश की तो दोनों लोगों ने उसे धक्का दे दिया। जिससे वह दूर जाकर गिर गया। मौके पर ही सिपाही सोनू के शरीर पर काफी गंभीर चोटें आयी थी और घायल होकर गिर गये तभी नटवर लाल ने तमंचा निकालकर कांस्टेबिल सोनू पर फायर किया, लेकिन कारतूस मिस हो जाने के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना के आस–पास के दुकानदार भयभीत हो गये अपने–अपने सटर बन्द करने लगे। तब राजेन्द्र व नटवर लाल चाकू व तमंचा लहराते हुए गाली–गलौज करते हुए तथा यह कहते हुए कि आज तो बच गये लेकिन तुमको जान से मार दूंगा। यह कहते हुए मोटरसाईकिल से भाग गये। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

10– अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 के रूप में होमगार्ड विमलेश कुमार परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 10.03.2026 में यह कथन किया गया है कि "दिनाँक 23.09.2023 को मैं थाना खीरों की सेमरी चौकी पर नियुक्त था। उस दिन 6 बजे शाम को विवाद होने की सूचना मिली थी। कांस्टेबिल सोनू के साथ मैं महरानीगंज विवाद स्थल पर पहुंचे थे। हाजिर अदालत मुल्जिम राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े व नटवर लाल उर्फ छानू जो दोनों खरगापुर के निवासी हैं, मौजूद मिले थे। गालीगलौज कर रहे थे। गाली गलौज करने से कांस्टेबिल सोनू ने मना किया तो उपरोक्त दोनों अभियुक्त कांस्टेबिल सोनू से गुत्थम गुत्था व मारपीट करने लगे। दोनों मुल्जिमान ने अपने पास लिये हुए चाकू से कांस्टेबिल सोनू के ऊपर जान से मारने की नीयत से चाकू से चोटें पहुंचायी थी। मेरे द्वारा बचाव करने का प्रयास किया गया था, तो उपरोक्त दोनों मुल्जिमानों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया था। मुल्जिमानों के मारने से कांस्टेबिल सोनू के शरीर पर 4–5 जगह गम्भीर चोटें आयी थी। सोनू जब चोट खाकर गिर गये थे तब नटवर लाल अभियुक्त ने तमंचा निकालकर सोनू पर फायर किया, परन्तु कारतूस मिस हो जाने के कारण फायर की कोई चोट नहीं आयी थी। घटना स्थल पर तमाम दुकानदार व आसपास के लोग मौजूद थे जो भयभीत होकर दुकानों पर छिप गये थे। दोनों मुल्जिमान चाकू, तमंचा लहराते हुए गाली गलौज करते हुए यह कहते हुए कि आज तो

बच गये हो, आइंदा जान से मार दूंगा और अपनी मोटर साईकिलों से भाग गये। घटना के बाबत विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी। मेरा बयान लिया था।''

11– अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 के रूप में कां0 राम किशोर परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 16.03.2026 में यह कथन किया गया है कि ''मै दिनांक 23.09.2023 को थाना खीरो मे बतौर कांस्टेबिल मोर्हरिर के पर पर कार्यालय में नियुक्त था। इसी दिन समय 18.50 बजे मैने कांस्टेबिल के लिखित प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मुकदमा अपराध संख्याा 413 / 2023 धारा 307, 324,323, 504,506 आई0 पी0 सी0 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट का मुकदमा राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बडे शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला के विरूद्ध अंकित किया था। पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या 3 क / 1 ता 3क / 3 संलग्न है। प्रार्थना पत्र के पुश्त पर मैंने मुकदमे का विवरण लिख कर अपने हस्ताक्षर बनाया था। चिक एफ0 आई0 आर0 पर प्रर्दश क 2 डाला गया। उसी दिन रोजनामचा आम संख्या 65 कांस्टेबिल योगेश यादव से तैयार कराया था, जो पत्रावली के कम्प्यूटर पर कागज संख्या 10 क / 4 सलंग्न है जिस पर प्रर्दश क 3 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

12– अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 के रूप में उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 20.03.2026 में यह कथन किया गया है कि ''दिनांक 23.09.2023 को मैं उप निरीक्षक के पद पर थाना खीरों में तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 अंतर्गत धारा 307, 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० व 7 क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 1932 थाना खीरों की विवेचना मुझे थानाध्यक्ष के निर्देश पर प्राप्त हुई थी। मैंने विवेचना ग्रहण करने के उपरांत मैंने सी०डी नं०–1 नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकन किया तथा लेखक FIR कॉ० मुहर्रिर राम किशोर राठौर के बयान अंकित किये। उसी दिन सी०डी० नं०–2 वादी कांस्टेबल सोनू यावद व चश्मदीद गवाह होम गॉर्ड विमलेश कुमार का बयान अंकित किया। सी०डी० नं०– 3 दिनांक 24.09.2023 को अभियुक्तगण के मोबाइल की सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। सी०डी० नं०4 दिनांक 25.09.2023 को अभियुक्तों की तलाश के संबंध में है। सी०डी० नं0 5 दिनांक 26.09.2023 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी। सी०डी० नं०6 दिनांक 27.09.2023 को वादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया था,

जो पत्रावली में 6 क शामिल है, जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा चश्मदीद साक्षी धर्मेन्द्र कुमार, पिंटू पुत्र रामानंद, संजय पुत्र राम विशाल, रामलाल पुत्र सतई का बयान अंकित किया था। सी०डी० नं०–7 दिनांक 28.09.2023 को अभियुक्तों की तलाश व अभियुक्तगण के आधार को रन कराये जाने हेतु सर्विलांस को रिपोर्ट भेजी गयी। सी०डी० नं०– 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 व 16 में मजरूब कॉ० सोनू यादव का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकन किया था तथा मजरूब होमगॉर्ड विमलेश की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन सी०डी० में किया गया था। सी०डी० नं० 17 व 18 में अभियुक्तों की तलाश के संबंध में गैर जमानतीय वारंट से संबंधित है। सी०डी० नं० 19 में अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट प्राप्त किया गया। सी०डी० नं० 20 से 25 तक में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की प्रयास किये जाने के संबंध में। सी०डी० नं० 26 में 82 दं०प्र०सं० की न्यायालय से मांग की गई। सी०डी० नं० 27 में माननीय न्यायालय द्वारा 82 दं०प्र०सं० का आदेश प्राप्त किया गया। सी०डी० नं० 28 में 82 दं०प्र०सं० की नोटिस चस्पा की गई। इसेक बाद मेरा स्थानान्तरण थाना महराजगंज में हो जाने पर उक्त विवेचना सौरभ मलिक को प्राप्त हुई थी।''

13– अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 के रूप में डा0 सुनील कुमार यादव परीक्षित हुए हैं। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 02.04.2026 में यह कथन किया गया है कि ''दिनांक 23.09.2023 को समय 09.35 पी०एम० को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो में कार्यरत था। मजरूब होमगॉर्ड विमलेश कुमार उम्र 38 वर्ष पुत्र गोवर्धन निवासी सकतपुर, थाना खीरो, जनपद रायबरेली, जिसे थाने का चौकीदार राजेश द्वारा लाया गाय था। जिसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मेरे द्वारा मजरूब का परीक्षण किया गया था और उसका निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था। आघात आख्या कागज संख्या 7 क/1 व 7 क/2 पत्रावली में शामिल है, जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उसी दिन मेरे द्वारा 7.00 पी०एम० पर मजरूब कॉ० सोनू यादव उम्र 25 वर्ष पुत्र ऋषिपाल सिंह थाना खीरो, जनपद रायबरेली को पंकज सोनकर कॉ० थाना खीरो लेकर आया था। मजरूब के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीं:–

**1–** Incised wound of sized 5cm x 1.5cm x Muscles deep on postero–lateral aspect of left thigh 22cm above from left popitiel fossa, margins are clean cut with (anterior and lateral tailing) bleeding is moderate.

2– incised wound of size 2.5cm x 1cm x muscles deep on postero lateral aspect right fore arm 10cm above from back of right wrist joint, margins are clean cut bleeding mild.

3– incised wound of size 6cm x 0.8cm x muscles deep on right postero–lateral aspect of neck 8cm infero posterior to right ear, margins are clean cut with mild bleeding.

4– incised wound of size 2cm x 0.5cm x muscles deep on back of right elbow joint, margins are clean cut with mild bleeding.

–मजरूब की उपरोक्त चोटें चाकू से आना संभव है, जो उसी दिन एक घंटे पूर्व की हो सकती हैं। मेडिको लीगल कागज संख्या 7 क/3 व 7 क/4 मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इसके अलावा मजरूब के शरीर पर अन्य कोई चोटें नहीं थी।''

14– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

15– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं के विरूद्ध दिनाँक 23.09.2023 को समय 18.00 बजे विवाद की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सेमरी के आदेशानुसार जब वादी/कांस्टेबिल सोनू यादव, होमगार्ड विमलेश के साथ महरानीगंज विवाद स्थल पर पहुंचे तो राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं को गालीगलौज करते पाये जाने व वादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी से गुत्थम गुत्था करके मारना पीटना और दोनों अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी पर लगातार चाकू से वार किया जाना, जिससे वादी के शरीर पर 4–5 जगह गम्भीर चोटें आना और वादी का घायल होकर गिर जाना तथा अभियुक्त नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू द्वारा तमन्चा निकालकर वादी के ऊपर फायर किया जाना और कारतूस मिस हो जाने के कारण वादी की जान बच जाना और अभियुक्त का चाकू व तमन्चा लहराते हुए गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर, मोटर साईकिल से भाग जाना संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राजेन्द्र

शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं लगाये गये धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों के आरोपों हेतु सिद्ध दोष करके दण्डित किये जाने योग्य हैं।

16– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक व तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 दिनाँक 23.09.2023 को 18.50 बजे धारा 307, 324, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों हेतु दिनाँक 23.09.2023 समय 18.00 बजे की घटना की बाबत दर्ज की कि दिनाँक 23.09.2023 को विवाद की सूचना मिलने पर जब वादी/कांस्टेबिल सोनू यादव, हमराही होमगार्ड विमलेश के साथ महरानीगंज में विवाद स्थल पर पहुंचा तो राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला तथा नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं को गाली गलौज करते हुए पाया गया। गाली–गलौज देने से मना करने पर दोनों अभियुक्तगण द्वारा गुत्थम गुत्था करके उसके साथ मारपीट की गयी और दोनों अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से बार–बार चाकू से वार किये गये, जिससे वादी को 4–5 जगह गम्भीर चोटें आयी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिस पर अभियुक्त नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं द्वारा तमन्चा निकालकर वादी के ऊपर फायर किया, परन्तु कारतूस मिस हो जाने के कारण वादी की जान बच गये। उक्त की बाबत एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी अभिषेक सिंह द्वारा दिनाँक 23.09.2023 को ही समय 22.08 बजे मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 अंतर्गत धारा 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों हेतु अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं के विरूद्ध दिनाँक 23.09.2023 को ही 00.00 बजे की घटना के बाबत दर्ज करायी गयी और उक्त में वादी अभिषेक सिंह के कथनानुसार जब मौके से वादी अभिषेक सिंह भागकर जा रहा था, तो रास्ते में पुलिस कांस्टेबिल व होमगार्ड मिले और उन पर वहीं पर अभियुक्तगण द्वारा जानलेवा हमला तमन्चे से फायर करके किया गया और मौके से भाग जाना बताया गया। इस प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 की घटना के साथ ही, प्रस्तुत प्रकरण की घटना होना भी, मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 के वादी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्टि होती है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में घटना को 18.00 बजे की दर्शाते हुए घटना स्थल महरानीगंज बाजार का होना ही दर्ज कराया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण की कथित घटना व घटना स्थल ही संदेहास्पद हो जाते हैं।

17– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 अंतर्गत धारा 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता की घटना का जहाँ वादी द्वारा कोई समय अंकित नहीं किया है और घटना स्थल सड़क के किनारे रास्ते का होना दर्शाया गया है, वहीं प्रस्तुत प्रकरण का घटना स्थल महरानीगंज बाजार में दुकान के सामने का होना दर्शाया गया है और घटना 18.00 बजे घटित होना बताया है। इस प्रकार घटना स्थल व समय दोनों घटनाओं का, परस्पर विरोधाभासी हैं जबकि उक्त घटना का एक ही घटनाक्रम के साथ होना अभिकथित किया गया है।

18– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराधों के समर्थन में अभियेाजन पक्ष द्वारा कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व चुटैल साक्षीगण के रूप में कांस्टेबिल सोनू यादव को पी0 डब्लू0 1, चक्षुदर्शी साक्षी रामपाल को पी0 डब्लू0 2, होमगार्ड विमलेश कुमार को पी0 डब्लू0 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अभियेाजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये शेष साक्षीगण कां0 रामकिशोर पी0 डब्लू0 4, उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार याद पी0 डब्लू0 5 तथा डा0 सुनील यादव पी0 डब्लू0 6 सभी औपचारिक साक्षीगण हैं।

19– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 कांस्टेबिल सोनू यादव, पी0 डब्लू0 2 रामपाल, पी0 डब्लू0 3 होमगार्ड विमलेश कुमार द्वारा प्रश्नगत घटना की बाबत भिन्न–भिन्न व विरोधाभासी कथन किये हैं, जिसके फलस्वरूप समस्त अभियोजन कथानक ही संदेहास्पद हो जाता है।

20– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा अभियुक्त नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं द्वारा तमन्चा निकालकर फायर किया जाना बताया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में वादी पी0 डब्लू0 1 ने अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला द्वारा अपने ऊपर फायर किया जाना बताया है और वादी पी0 डब्लू0 1 द्वारा अपने हमराही विमलेश कुमार का भी मौके से भाग जाना बताया है।

21– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि

मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 व मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 की घटना एक ही क्रम में होना के तथ्य को वादी पी0 डब्लू0 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

22– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 द्वारा अभियुक्तगण के हाथ में कोई तमन्चा या चाकू न होना व किसी के द्वारा फायर न किया जाना बताया है और फायर किये जाने वाली बात को झूठा होना बताया है और यह भी कथन किया है कि अभियुक्त नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं की प्रश्नगत घटना में कोई भूमिका नहीं थी, जिसके फलस्वरूप भी समस्त अभियेाजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

23– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 3 होमगार्ड विमलेश कुमार द्वारा भी राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला द्वारा मोटर साईकिल की दुकान से पेंचकस अथवा चाकू उठाकर अपने बचाव में सोनू यादव पर हमला किया जाना और घटना दोहपर बाद की होना और घटना के दौरान कोई फायर न होना और इस साक्षी द्वारा किसी के हाथ में कोई तमन्चा न देखा जाना और सिर्फ धक्का मुक्की होना ही बताया है।

24– इसी क्रम में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चिकित्सक साक्षी पी0 डब्लू0 6 डा0 सुनील कुमार यादव द्वारा वादी पी0 डब्लू0 1 के शरीर पर पायी गयी चोटों को धक्का दिये जाने पर गिर जाने से भी आना सम्भव होना बताया है और पी0 डब्लू0 3 द्वारा भी मात्र मौके पर धक्का मुक्की होना ही अभिकथित किया गया है।

25– उक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 324, 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू लगाये गये धारा धारा 324, 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

## <u>निष्कर्ष</u>

26– अभियोजन कथानक व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर वादी कांस्टेबिल सोनू यादव द्वारा दिनाँक 23.09.2023 की 18.00 बजे की घटना की बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 413/2023 दिनाँक 23.09.2023 को ही समय 18.50 बजे अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू के विरूद्ध धारा 324, 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों हेतु इस आधार पर दर्ज करायी गयी कि– वह वर्तमान मे थाना खीरों जनपद रायबरेली के पुलिस चौकी सेमरी में कांस्टेबिल पद पर कार्यरत है। दिनांक 23.09.2023 को समय करीब 18.00 बजे विवाद की सूचना पर चौकी प्रभारी सेमरी जितेन्द्र कुमार के आदेशानुसार वह व होमगार्ड विमलेश महरानीगंज विवाद स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला एवं नटवर लाल उर्फ छांनू मौजूद थे तथा गाली गलौज कर रहे थे तभी उसने गाली देने से रोका तो उपरोक्त दोनों गुथ्थम गुथ्था व मारने पीटने लगे तथा दोनों जान से मारने की नियत से लगातार बार–बार चाकू से वार करने लगे। वह अपना बचाव करता रहा। मारपीट में उसके शरीर मे चार–पांच जगह गम्भीर चोटें आयी और घायल होकर गिर गया तभी नटवर लाल उपरोक्त तमन्चा निकाल कर उस पर फायर किया, परन्तु कारतूस मिस होने के कारण जान बच गयी। उक्त घटना से आस पास दुकान शटर बन्द होने लगे और अफरा तफरी एवं भय का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग डर के मारे दुकानों एवं घरों मे छुपने लगे तभी उपरोक्त दोनों चाकू व तमन्चा नाजायज लहराते हुए गाली गलौज करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटर साइकिल से भाग गये।

27– विवेचक द्वारा चिक एफ0आइ0आर0 प्रदर्श क–2 कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के आधार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू के विरूद्ध धारा 324, 323, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 प्रस्तुत किये गये।

28– पत्रावली के सत्र सुपुर्द किये जाने पर उक्त सत्र वाद संख्या 86/2025 के रूप में दर्ज किया गया और अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू के विरूद्ध दिनाँक 09.09.2025 को धारा 323, 324, 307, 504,

506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराधों के आरोप विरचित किये गये तथा अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किये जाने पर विचारण प्रारम्भ किया गया।

29– अभियोजन पक्ष की ओर से वादी पी0 डब्लू0 1 कांस्टेबिल सोनू यादव, चक्षुदर्शी साक्षी रामपाल पी0 डब्लू0 2, होमगार्ड विमलेश कुमार पी0 डब्लू0 3, कां0 रामकिशोर पी0 डब्लू0 4, उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव पी0 डब्लू0 5 तथा डा0 सुनील यादव पी0 डब्लू0 6 परीक्षित कराये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण के वादी द्वारा घटना समय 6.00 बजे की होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 की चिक की तहरीर की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 36 ख/3 लगायत 36 ख/6 के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं, से यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि दिनाँक 23.09.2023 को इसी घटनाक्रम से सम्बन्धित एक पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 414/2023 दिनाँक 23.09.2023 को 22.08 बजे धारा 392, 307, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों हेतु दिनाँक 23.09.2023 को 00.00 बजे की घटना की बाबत की। अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं के द्वारा वादी से 5800/– रूपये लूट लिये गये तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी अभिषेक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया तथा फायर भी किया गया तथा मौके से भाग जाने पर रास्ते में अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण के वादी व पुलिस कर्मचारी कां0 सोनू यादव, जो प्रस्तुत प्रकरण का वादी है, अपने हमराही होमगार्ड विमलेश के साथ रास्ते में सड़क के किनारे मिल जाने पर अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के वादी सोनू यादव पर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया जाना व चाकू से हमला किया जाना और फायर मिस हो जाने के संदर्भ में दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण की घटना का समय, स्थान व अभियुक्तगण की संलिप्तता सभी संदेहास्पद हो जाते हैं।

30– अभियेाजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराधों के समर्थन में तथ्य के साक्षी के रूप में वादी कांस्टेबिल सोनू यादव पी0 डब्लू0 1, चक्षुदर्शी साक्षी रामपाल पी0 डब्लू0 2 व वादी के हमराही होमगार्ड विमलेश को पी0 डब्लू0 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त परीक्षित कराये गये अन्य साक्षीगण पी0 डब्लू0 4 कां. रामकिशोर, पी0 डब्लू0 5 उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव व पी0 डब्लू0 6 डा0 सुनील कुमार यादव औपचारिक साक्षीगण हैं।

31– वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सायं 6.00 बजे की घटना की बाबत दर्ज करायी गयी है, जबकि साक्षीगण पी0 डब्लू0 2 व पी0 डब्लू0 3 के अनुसार उक्त घटना दोपहर के समय की है और अभियेाजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 कांस्टेबिल सोनू यादव, पी0 डब्लू0 2 रामपाल व पी0 डब्लू0 3 होमगार्ड विमलेश कुमार द्वारा प्रश्नगत घटना की बाबत भिन्न–भिन्न व विरोधाभाषी कथन किये हैं।

32– उक्त के सम्बन्ध में पी0 डब्लू0 3 होमगार्ड विमलेश ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि–

**"मै ग्राम सकतपुर का निवासी हूँ। घटना स्थल से मेरे गांव की दूरी 5–6 कि0 मी० है। मैं होमगार्ड की ड्यूटी के सिलसिले में सेमरी चौकी गया था। कांस्टेविल सोनू यादव ने कहा कि महरानीगंज बाजार में विवाद हो रहा है, तब मैं उनके साथ महरानीगंज पहुंचा था, तो देखा कि अभियुक्तगण मोटर साईकिल की दुकान पर अपनी मोटर साईकिल बनवा रहे थे। वहीं पर अभिषेक विक्रम सिंह से अभियुक्तगण के मध्य वाद–विवाद हो रहा था। सोनू यादव ने मना किया था जिस पर राजेन्द्र शुक्ला विवाद करने लगे थे। दोनों लोगों में गुत्थम गुत्था होने लगा था। बगल में नटवरलाल खड़े थे। राजेन्द्र शुक्ला व सोनू यादव में उठा–पटक होने लगी। सोनू यादव ने राजेन्द्र शुक्ला को मारा और राजेन्द्र यादव ने सोनू यादव को मारा। इसी दौरान राजेन्द्र शुक्ला ने मोटर साईकिल की दुकान से पेंचकस अथवा चाकू उठाकर अपने बचाव में सोनू यादव पर हमला कर दिया। यह घटना दोपहर बाद की है। यह केवल मारपीट की घटना थी। इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुयी थी। किसी प्रकार का कोई फायर नहीं हुआ था। मैंने किसी के हाथ में तमंचा नहीं देखा था, बल्कि धक्का–मुक्की हुयी थी। राजेन्द्र शुक्ला ने पहले सोनू को धक्का दिया था। बाद में मारपीट की थी। राजेन्द्र शुक्ला ने मोटर साईकिल की दुकान से चाकू उठाया था कि पेंचकस, मैं देख नहीं पाया था। अभिषेक विक्रम सिंह मौके पर मौजूद थे। नजारा देख रहे थे, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं किया था। इस मारपीट में मुझे कोई चोट नहीं आयी थी और मैं अलग खड़ा हो गया था। अभियुक्तगण ने मुझे कुछ नहीं कहा था।**

**घटना की रिपोर्ट सोनू यादव ने लिखाया था। कितने बजे लिखाया था, मैं नहीं जानता हूँ। इसी घटना की दूसरी रिपोर्ट अभिषेक विक्रम सिंह ने लिखायी थी कि नहीं मुझे मालुम नहीं है।''**

33– साक्षी पी0 डब्लू0 1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों से वादी द्वारा भी प्रश्नगत घटना में केवल मारपीट होना, किसी तरह की कोई बात न होने और मारपीट के मामले में अभिषेक विक्रम सिंह द्वारा भी अभियुक्तगण के विरूद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराने और मामले का विवाद एक ही होना और अभिषेक विक्रम द्वारा अलग रिपोर्ट लिखाये जाने व स्वयं के द्वारा अलग रिपोर्ट लिखाया जाना स्वीकार किया है।

34– अन्य साक्षी पी0 डब्लू0 2 द्वारा भी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से भिन्न कथन किये गये हैं कि–

> **"मौके पर एक सिपाही व होमगार्ड जो ड्रेस में नहीं थे, बल्कि सिविल वर्दी में थे, मौके पर पहुंच गये और सिपाही अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला को मारने लगा। बगल में होमगार्ड खड़ा रहा। तब बचाव में राजेन्द्र शुक्ला ने बजरंगबली सर्विस प्वाइंट वाली दुकान से पेंचकश उठाकर अपना बचाव किया, जिसमें सिपाही हो चोटें आ गयी, तब किसी तरह बचकर अभियुक्तगण मौके से भाग गये नटवर लाल ने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की। अभियुक्तगण ने कोई गाली–गलौज नहीं किया तथा जान से मारने की धमकी भी नहीं दिया। यह विवाद सिपाही को पहचान न पाने के कारण राजेन्द्र शुक्ला ने अपने बचाव में किया। मौके पर अभिषेक विक्रम सिंह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। किसी अभियुक्तगण के हाथ में कोई तमंचा और चाकू नहीं था और किसी ने कोई फायर नहीं किया। फायर वाली बात पूरी तरह से झूठी है। यह साधारण मार–पीट अनजाने में सिपाही को पहचान न पाने के कारण अपने बचाव में राजेन्द्र शुक्ला ने की है। यह घटना समय दोपहर के करीब की है। घटना में नटवर लाल की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस घटना की एक रिपोर्ट पुलिस द्वारा लिखायी गयी और दूसरी अभिषेक विक्रम सिंह द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर लिखायी गयी।"**

35– इस प्रकार अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षी पी0 डब्लू0 2 द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और उसके विपरीत यह कथन किये हैं कि सिपाही व होमगार्ड द्वारा मौके पर आकर अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला को मारापीटा जाने लगा, जिस पर अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला ने दुकान से पेंचकस उठाकर अपना बचाव किया, जिसमें वादी सिपाही को चोट आ गयी। अभियुक्त नटवर लाल ने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की। अभियुक्तगण ने कोई गालीगलौज नहीं किया। जान से मारने की धमकी नहीं दिया, किसी अभियुक्तगण के हाथ में कोई तमन्चा या चाकू नहीं था और किसी ने फायर नहीं किया।

फायर वाली बात पूर्णतः झूठी है।

36– इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 3 द्वारा भी अभियेाजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और पी0 डब्लू0 2 के अनुरूप ही वादी द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला के साथ मारपीट किया जाना और पेंचकस या चाकू से अभियुक्त द्वारा बचाव किये जाने पर वादी को चोट आना, घटना दोपहर बाद की होना और सिर्फ मारपीट होना और इसके अलावा अन्य कोई घटना न होना और घटना में कोई फायर न होना और किसी के हाथ में तमन्चा न होना स्वीकार किया है।

37– इसी प्रकार पी0 डब्लू0 4 द्वारा भी वादी के शरीर पर पायी गयी चोटें की बाबत प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि–

> **"प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित तहरीर वादी मुकदमा सोनू यादव ने थानाध्यक्ष महोदय को दी थी, जिस पर थानाध्यक्ष महोदय ने मुझे मुकदमा दर्ज करने का मौखिक निर्देश दिया था तब मैने शाम 06.50 मिनट पर रिपोर्ट दर्ज की थी। तहरीर मे जो दर्ज था, वही मैंने लिखा था, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि कथित मारपीट की दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिषेक विक्रम सिंह द्वारा भी दर्ज करायी गयी थी।''**

38– अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों के प्रकाश में अभियेाजन पक्ष, अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं को गालीगलौज करते पाये जाने व वादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी से गुत्थम गुत्था करके मारना पीटना और दोनों अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी पर लगातजार चाकू से वार किया जाना, जिससे वादी के शरीर पर 4–5 जगह गम्भीर चोटें आना और वादी का घायल होकर गिर जाना तथा अभियुक्त नटवार लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानू द्वारा तमन्चा निकालकर वादी के ऊपर फायर किया जाना और कारतूस मिस हो जाने के कारण वादी की जान बच जाना और अभियुक्तगण का चाकू व तमन्चा लहराते हुए गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर, मोटर साईकिल से भाग जाना संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः असफल रहा है। निष्कर्षतः अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवार लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं लगाये गये धारा 307, 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अपराध के आरोपों से

दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

## आदेश

अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं को, सत्र परीक्षण संख्या 86/2025 राज्य प्रति राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला, अपराध संख्या 413/2023, थाना खीरों, रायबरेली में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323, 324, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं जमानत पर उपस्थित है। उन्हें अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला उर्फ बड़े शुक्ला व नटवर लाल उर्फ छोटे शुक्ला उर्फ छानूं को निर्देशित किया जाता है कि वे बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो–दो जमानतें, धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

**दिनाँक–25.06.2026** **(अमित पाल सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**रायबरेली**
**I.D. No. UP05691**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके सुनाया गया।

**दिनाँक– 25.06.2026** **(अमित पाल सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**रायबरेली**
**I.D. No. UP05691**

Sripal Singh
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.01 14:16:31 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Raebareli